न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 15 / 2025

राज.सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी भरतपुर .....प्रार्थी

बनाम

श्री रतन सिंह धाकड पुत्र श्री चौथीराम धाकड, (डिगम्बर धाकड ऑयल मिल) निवासी बिचपुरी पट्टी, वैर जिला भरतपुर .....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थित :–
1–पैरोकार सरकार रसद
2–श्री पंकज कुमार अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 11.02.2026

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए ईसी एक्ट पेश किया गया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 05.08.2025 को प्राप्त सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्देशन में प्रवर्तन स्टॉफ बयाना रोड स्थित डिगम्बर धाकड ऑयल मिल, निवासी, बिचपुरी पट्टी, वैर पहुँचे। मौके पर प्रतिष्ठान पर 37 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा भराव क्षमता) का व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली दो इलैक्ट्रोनिक मोटर मय पाईप एवं एक इलैक्ट्रोनिक कांटा मौके पर पाया गया। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों से वाहनों में अवैध रूप से एलपीजी भरने का कार्य किया जा रहा था। प्रतिष्ठान के अन्दर 37 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से भण्डारित पाये गये। इस स्थान पर इनकी उपस्थिति के सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेन्डरों का व्यवसायिक दुरूपयोग द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण मौके पर जप्त 14.2 किग्रा भराव क्षमता के 37 घरेलू गैस सिलेण्डर, एवं दो इलैक्ट्रोनिक मोटर मय पाईप व एक इलैक्ट्रोनिक कांटा को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. को नोटिस धारा 6बी ई0सी0 एक्ट रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा उपस्थित होकर जबाव पेश किया, जो शा. मि. किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर
किया कि अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डरों से वाहनों में अवैध
रूप से एलपीजी भरने का कार्य किया जा रहा था एवं प्रतिष्ठान के अन्दर 37 घरेलू
गैस सिलेण्डर अवैध रूप से भण्डारित पाये गये। उक्त श्रेणी के घरेलू गैस सिलेण्डर
व्यवसायिक रूप से प्रतिष्ठान पर प्रयुक्त किये जा रहे थे। अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से
भण्डारित सिलेण्डरों बाबत् कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। अप्रार्थी द्वारा
घरेलू गैस सिलेन्डरों के अवैध संग्रहण, भण्डारण बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं
कर द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 एवं
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण मौके पर जप्त
कुल 37 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं दो इलैक्ट्रोनिक मोटर मय पाईप व एक
इलैक्ट्रोनिक कांटा को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने जबाव में अंकित कथनों को दोहराते
हुये जाहिर किया कि प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग वाहनों में अवैध
रूप से एलपीजी भरने के काम में नहीं लिया जाता था। वकील अप्रार्थी का यह भी
कहना है कि मौके पर उपलब्ध गैस सिलेण्डरों के वास्तविक उपभोक्ताओं को भी
बुलाया गया, लेकिन उनके बयान को नहीं लिया गया। साथ ही वकील अप्रार्थी का
यह भी कथन है कि प्रार्थी की दुकान से आगे एक मन्दिर है जिस पर धार्मिक
कार्यक्रम चल रहा था उसी पर आयोजित होने वाले भण्डारे के लिये विभिन्न
उपभोक्ताओं ने अपने सिलेण्डर धार्मिक आयोजन में इस्तेमाल के लिये प्रार्थी की
दुकान पर रखवाये गये थे। इस समस्त तथ्यों से प्रवर्तन निरीक्षक को मौके पर
अवगत कराया गया लेकिन उनके द्वारा इस बावत कोई ध्यान नहीं दिया गया।
प्रवर्तन स्टाफ द्वारा विधि विरुद्ध कार्यवाही की गई है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू सिलेण्डरों
को व्यवसासिक उपयोग नहीं किया जा रहा था। प्रार्थना पत्र 6 'ए' खारिज किया
जाकर जप्त सिलेण्डर लौटाये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभय पक्ष के कथनों पर गौर
किया। अप्रार्थी का यह कहना कि प्रार्थी की दुकान से आगे एक मन्दिर पर धार्मिक
कार्यक्रम चल रहा था उसी पर आयोजित होने वाले भण्डारे के लिये विभिन्न
उपभोक्ताओं ने अपने सिलेण्डर धार्मिक आयोजन में इस्तेमाल के लिये प्रार्थी की
दुकान पर रखवाये गये थे। स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि कि नियमों में कहीं
प्रावधान नहीं है कि धार्मिक कार्यक्रम/भण्डारे के लिये घरेलू गैस सिलेण्डर का
उपयोग किया जा सकता है। घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग घर की रसोई में ही
होना चाहिये था। साथ ही निरीक्षण दल द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों से वाहनों में

.......3

जिला कलक्टर
भरतपुर

अवैध रूप से एलपीजी भरते समय जप्ती की समस्त कार्यवाही की गई है एवं सभी गवाहान के उक्त कार्यवाही पर किये गये हस्ताक्षर इस बात को स्पष्ट करते हैं कि निरीक्षण दल की कार्यवाही सही है। उक्त फर्द मौका जप्ती कार्यवाही पर अप्रार्थी द्वारा अपने हस्ताक्षर भी किये गये हैं। अप्रार्थी ने उक्तानुसार निरीक्षण दल द्वारा की गई कार्यवाही पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। अप्रार्थी, घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण करना एवं वाणिज्यक गतिविधी के लिये घरेलू गैस सिलेण्डरों से वाहनों में अवैध रूप से एलपीजी भरने का कार्य किया जा रहा था। इससे यह निर्विवाद है कि अप्रार्थी द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र में जिस प्रकार कथन किये गये हैं वे बाद की सोच के तहत हैं, जो स्वीकार योग्य नहीं हैं। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किया जाता है साथ ही जप्त 37 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं दो इलैक्ट्रोनिक मोटर मय पाईप व एक इलैक्ट्रोनिक कांटा को राजसात किया जाना उचित पाते हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाने योग्य रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मोके पर जप्त 14.2 किग्रा भराव क्षमता के 37 घरेलू गैस सिलेण्डर को मय गैस राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि जप्त कुल 37 घरेलू गैस सिलेण्डर सम्बन्धित कम्पनी में जमा करावें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86 (23)खा0ले0/6/89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी/आयल कम्पनी गैस सिलेन्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राजकोष में जमा कराई जावे। साथ ही जप्त दो इलैक्ट्रोनिक मोटर मय पाईप व एक इलैक्ट्रोनिक कांटा आदि सामान का नियानुसार निस्तारण किया जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर